रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092023-248660
CG-DL-E-12092023-248660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945
No. 522]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 663(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 233(अ), तारीख 29 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 29 मार्च, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 62 के, उप-नियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	आठ वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए दो वर्ष और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष: परंतु यह कि भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन प्रवर्ग के वाहन की फिटनेस 01 अक्टूबर 2024 से नियम 175 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से की जाएगी: परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में नियम 175 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन परिचालित हैं, वहां वाहन की फिटनेस केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 के प्रारंभ से प्रभारी होने पर केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही की जाएगी"।

[फा.सं. आरटी-23013/2/2022-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 453(अ) तारीख 20 जून, 2023 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2023

G.S.R. 663(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 233(E), dated the 29th March, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th March, 2023;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 62 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely: -

"(b) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehicles	Two years for vehicles up to eight years old and one year for vehicles older than eight years: Provided that the fitness of the vehicle of the category

	heavy goods vehicle, heavy passenger motor vehicle, medium goods vehicle, medium passenger motor vehicle and light motor vehicle shall be done mandatorily only through an automated testing station registered under rule 175 with effect from 01st October 2024: Provided further that where the automated testing station registered under rule 175 is operational in the jurisdiction of a registering authority, the fitness of the vehicle shall be done only through such automated testing station with effect from the commencement of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2023.”.

[F.No. RT-23013/2/2022-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 453(E) dated the 20th June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.12 21:30:46 +05'30'